208/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/9/22	दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई.बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से ग्राम क्यार चारणान की खेत खसरा संख्या 15 रकबा 82 बीघा व खसरा संख्या 52 रकबा 72—08 बीघा कुल रकबा 154—08 बीघा भूमि वादीगण की बतौर खातेदार दर्ज करते हुए रेकर्ड दुरस्ती की जावें एवं वादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 02 से 04 का प्रत्येक थोक 1/18, 1/18 हिस्सा एवं वादी संख्या 05 से 08 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है, जो मूलवाद में साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार है अथवा नहीं। विप्रार्थी संख्या 01 से 03 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। जहां तक अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न है यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध जाता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सारहीन [illegible] होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Naresh Soni Date: 2022.10.05 19:03:24 IST Reason: SelfAttested सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा